

अत्यावश्यक



राज्य निर्वाचन आयोग  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

संख्या न0नि0-50-12/2025.....<sup>2958</sup>

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)  
-सह-जिला पदाधिकारी, गयाजी।

पटना, दिनांक- 1.7.25

विषय :-

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर ई.वी.एम कमिशनिंग के उपरान्त गया कॉलेज, गया एवं प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय, खिजरसराय के स्ट्रॉग रूम में रखे गये ई.वी.एम. को पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-2000 दिनांक-01.07.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर ई.वी.एम कमिशनिंग के उपरान्त गया कॉलेज, गया एवं प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय, खिजरसराय के स्ट्रॉग रूम में रखे गये ई.वी.एम., जिनका उपयोग माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में नगर पंचायत-खिजरसराय एवं नगर परिषद-बोधगया के उप निर्वाचन में नहीं किया जा सका, को पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में उपयोग हेतु आयोग की अनुमति संसूचित की जाती है।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक- न0नि0-50-15/2025 <sup>2958</sup>

पटना, दिनांक- 1.7.25.....

प्रतिलिपि :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। नगर पंचायत-मैरवा के उप निर्वाचन हेतु कमिशनड ई.वी.एम. के संबंध में भी समरूप अनुमति संसूचित की जाती है।

सचिव।